पार्थ सारथी सेन शर्मा
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
प्रधान कार्यालय, 4–ए गोखले मार्ग, लखनऊ
फोन कार्या0 0522–2208737, 2207065
फैक्स नं0– 0522–2208769
E mail : md.mvvnl2010@gmail.com

पत्रसं0 170 – प्रनि/मविविनिलि/मु0अ0(वा0) दिनांक 01-02-2010

विषयः– नये कनेक्शन का लेजराइजेशन।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण),
मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0।

निरीक्षण से प्रतीत होता है कि नये उपभोक्ताओं को संयोजन निर्गत करने के उपरान्त समय से लेजराइजेशन न किये जाने के कारण उपभोक्ताओं को बीजक निर्गत किये जाने में कई बार विलम्ब होता है। वर्तमान प्रक्रिया में नये कनेक्शन अवमुक्त करने की कार्यवाही अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर से की जा रही है। कई बार यह देखा गया है कि अवर अभियन्ता स्तर से निर्गत किये गये संयोजनों का लेजराइजेशन उनके द्वारा समय से निर्धारित प्रपत्र में डाटा सबमिट न किये जाने के कारण उपभोक्ताओं को निर्गत किये गये संयोजन का लेजराइजेशन समय से नहीं हो पा रहा है।

लेजराइज्ड न किये जाने का लाभ उपभोक्ताओं द्वारा 3–4 साल संयोजन चलाने के उपरान्त उनके द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिया जाता है कि हमारा संयोजन निर्गत ही नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त एक साथ बिल निर्गत होने पर उनके भुगतान करने की क्षमता न होने के कारण या तो उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित कर दिया जाता है अथवा बिल संबंधी विवाद हो जाता है जिससे विभाग का राजस्व वसूलने में कठिनाई होती है।

अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि नये उपभोक्ताओं को जो संयोजन निर्गत किये जाय उनके लेजरीकरण की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण की जाये। मैं चाहूँगा कि आप अपने अधीनस्थ खण्ड/उपखण्डों में निरीक्षण के उपरान्त अपने स्तर से अधीनस्थों के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करें कि नये उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन दिये जाने की स्थिति में उन संयोजनों का तत्काल लेजराइजेशन हो।

30/1/10

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक